मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र./9890 /MGNREGS-MP/एनआर–1/प्रशा./2015 भोपाल, दिनांक 02/11/2015

प्रति,

कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला पंचायत – समस्त
मध्यप्रदेश।

विषय : MITR (Mainstreaming is their Right) बावत्।

संदर्भ : 1.पत्र क्र./8491/MGNREGS-MP/एनआर–1/प्रशा./2015, भोपाल दिनांक 26/08/2015।
2. पत्र क्र./8934/NREGS-MP/एनआर–5/2008, भोपाल दिनांक 25/09/2008।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. अंतर्गत जरूरतमंद जाबकार्डधारियों को रोजगाार की मांग के अनुसार रोजगार प्राप्त करना एवं आजीविका संवर्धन के लिये हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ प्राप्त करना हितग्राहियों का अधिकार है, ताकि हितग्राही/जाबकार्डधारी योजना का लाभ लेकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके।

ग्राम पंचायत अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीब परिवार तथा जरूरतमंद जॉबकार्डधारियों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के साध्य कार्य, तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृत कार्यों की जानकारी एव प्रांरभ कार्यों की जानकारी प्राप्त करना भी उनका अधिकार है, ताकि वह इस योजना से जुड़कर इसका लाभ ले सके। इस दिशा में आपके जिले में समय–समय पर आवश्यक कार्यवाही भी की गयी होगी।

आपके जिले की ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीब परिवार तथा जरूरतमंद जॉबकार्डधारियों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम से जुड़ने पर प्रति ग्राम पंचायत प्रति दिवस औसतन, कम से कम 50 मजदूर कार्यरत होंगे। यदि किसी ग्राम पंचायत में प्रति दिवस 50 मजदूर कार्यरत नही रहते है तो ग्राम रोजगार सहायक द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं गरीब परिवार तथा जरूरतमंद जॉबकार्डधारियों को "प्रिय मित्र" पत्र के माध्यम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम अंतर्गत साध्य कार्य एवं तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृत कार्यों की जानकारी उपलब्ध करायी जाये, ताकि जरूरतमंद जॉबकार्डधारियों को ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रांरभ कार्यों की जानकारी प्राप्त हो सके एवं किस कार्य पर उनके द्वारा रोजगार की मांग की जा सकती है, स्पष्ट हो। यह भी सुनिश्चित हो कि आपके जिले की ऐसी ग्राम पंचायतों में जहां प्रति दिवस 50 मजदूर से कम कार्यरत है उन ग्राम पंचायतों में जरूरतमंद जॉबकार्डधारियों को "प्रिय मित्र" पत्र तामील हो गया है तथा पात्र हितग्राहियों को पात्रतानुसार मिलने वाली हितग्राहीमूलक योजना के बारे में जानकारी दी जा चुकी है। (संदर्भित पत्र–1 के माध्यम से इस कार्यवाही करने हेतु पूर्व में भी मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारण्टी परिषद द्वारा पत्र लिखा गया है।)

आपके जिले की ऐसी ग्राम पंचायतों में जहां जरूरतमंद जॉबकार्डधारियों को "प्रिय मित्र" पत्र तामील हो उन ग्राम पंचायतों में उक्त प्रक्रिया का व्यवस्थित रूप से एक रजिस्टर संधारित हो तथा ग्राम रोजगार सहायको द्वारा "प्रिय मित्र" पत्र की तामीली की कार्यवाही के दस्तावेजों का भी व्यवस्थित संधारण हो।

आपके जिले की ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं गरीब परिवार तथा जरूरतमंद जॉबकार्डधारियों को "प्रिय मित्र" पत्र की तामीली होने से इन हितग्राहियों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के कार्यो की जानकारी होगी, जाबकार्डधारी द्वारा योजना में काम

करने पर प्राप्त होने वाली मजदूरी की राशि की जानकारी होगी। इसके अलावा जॉबकार्डधारियों को हितग्राहीमूलक एवं सामुदायिक योजनाओं के बारे में जानकारी होगी, जिसका लाभ उनके द्वारा लिया जा सकेगा। इससे जॉबकार्डधारियों/हितग्राहियों का योजना के प्रति जुड़ाव होगा। इस प्रक्रिया से योजना का पारदर्शिता के साथ क्रियान्वयन होगा और प्रशासन भी जॉबकार्डधारियों/हितग्राहियों के ज्यादा करीब होगा।

इस पत्र के साथ संलग्न संदर्भित पत्र–2 में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत निःशक्तजनों को निःशक्तता के प्रकार अनुसार कार्य के अवसर उपलब्ध कराने के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है। जिसके अनुसार महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत निःशक्तजनों को कार्य के अवसर उपलब्ध कराये जायें। निःशक्तजनों को यथासंभव मेट के रूप में कार्य देने के भी प्रयास किये जाये।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्र./9991 /MGNREGS-MP/एनआर–1 /प्रशा./2015 भोपाल, दिनांक 02/11 /2015

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (समस्त) मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. संबंधित जिला प्रभारी अधिकारी, मनरेगा म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।

अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

कार्यालय ग्राम पंचायत.....

जनपद पंचायत.....

जिला.....मध्यप्रदेश

दिनांक.....

प्रिय मित्र,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. योजना अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण जॉबकार्डधारी परिवार एक साल में सौ दिन का काम कर सकते हैं। वर्तमान में इस योजना में काम करने पर एक दिन की मजदूरी 159/– रुपये तक मिलती है। आप इस योजना में 100 दिन काम करके 15,900/– रुपये तक एक साल में प्राप्त कर सकते हैं।

यदि आप इस योजना में काम करने के इच्छुक है तो ग्राम पंचायत में काम की मांग का आवेदन करें। आपके द्वारा आवेदन करने पर आपको ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्ति रसीद भी दी जायेगी।

वर्तमान में आपकी ग्राम पंचायत में निकटतम दूरी पर निम्न कार्य प्रारंभ है, जिन पर आप काम कर सकते हैः–

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्यस्थल	कार्य पर लगने वाले मजदूरों की अनुमानित संख्या
1			
2			
3			
4			

ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम रोजगार सहायक
ग्राम पंचायत.....

प्रति,

क्रमांक	जाबकार्डधारी का नाम	समग्र आईडी/जाबकार्ड नंबर	हस्ताक्षर	मोबाइल नंबर
1				